

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 1167 सन 2022

अनवान :-

1. हरनाम दास पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ज्ञानाराम पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मोखीराम पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. खेमाराम पुत्र स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरजीतराम पुत्र स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पत्नी स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मन्सो देवी पुत्री स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. छिन्दा देवी पुत्री स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. फरिदराम पुत्र स्व झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. जगीराम पुत्र झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. शान्ति पत्नी झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. पमीदेवी पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. माया पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. रिना पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. दारोदेवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. अंकी देवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. सत्यादेवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. पूर्णराम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. सतनाम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. सतपाल पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. जगदीश पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. मुखाराम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. मन्सोदेवी पुत्री लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. प्याराराम पुत्र सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. जुलुराम पुत्र सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
25. कृष्णराम पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
26. ककूराम पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
27. जगदीश पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
28. चन्दो पत्नी जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
29. भूरो पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
30. बिना पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
31. पाही पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
32. रांझाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
33. पालाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
34. राजवीर पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
35. मेवाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
36. शान्ति देवी पत्नी करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
37. मन्सोदेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
38. मुर्तिदेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
39. पीरादेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
40. पतिदेवी पुत्री सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
41. संती देवी पुत्री सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88  
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

20

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :-

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 129/125 की कुल 3.7950 हैक्ट जिसमें दलीपाराम 1/4 हिस्सा , लालचन्द 1/2 हिस्सा , सुन्दरराम 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 110/107 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से दलीपाराम उर्फ दलीपाराम 7/20 हिस्सा , सुन्दरराम 7/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

दलीपाराम पुत्र फुमनराम , लालचन्द पुत्र मलाराम , सुन्दरराम पुत्र फुमनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 है विरास्तन से भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 की माता/बहने है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दलीपाराम पुत्र फुमनराम , लालचन्द पुत्र मलाराम , सुन्दरराम पुत्र फुमनराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की दलीपाराम पुत्र फुमनराम , लालचन्द पुत्र मलाराम , सुन्दरराम पुत्र फुमनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 है विरास्तन से भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पुत्रों वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के हक हिस्सा की भूमि जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 43 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 129/125 की कुल 3.7950 हैक्ट जिसमें दलीपाराम 1/4 हिस्सा , लालचन्द 1/2 हिस्सा , सुन्दरराम 1/4 हिस्सा

एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 110/107 की कुल 2.5300हैव भूमि में सयुक्त तौर से दलीपाराम उर्फ दलीपराम 7/20 हिस्सा , सुन्दरराम 7/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

दलीपाराम पुत्र फुमनराम , लालचन्द पुत्र मलाराम , सुन्दरराम पुत्र फुमनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 है विरास्तन से भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 की माता/बहने है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 129/125 की कुल 3.7950हैव जिसमें दलीपाराम 1/4 हिस्सा , लालचन्द 1/2 हिस्सा , सुन्दरराम 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 110/107 की कुल 2.5300हैव भूमि में सयुक्त तौर से दलीपाराम उर्फ दलीपराम 7/20 हिस्सा , सुन्दरराम 7/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि दलीपाराम पुत्र फुमनराम , लालचन्द पुत्र मलाराम , सुन्दरराम पुत्र फुमनराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 है विरास्तन से भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,9 ,17 ता 21 ,23 ता 27 ,32 ता 35 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,10 ता 16 ,22 ,28 ता 31 ,36 ता 42ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 42 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 129/125 की कुल 3.7950हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1.3288हैक् भूमि में वादी अकेला 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 ,9 बहिब 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं सयुक्त तौर से 1.5185हैक् भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 21 बहिब खातेदार काश्तकार रहेगे एवं सयुक्त तौर 0.94875हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 23 ,24 प्रत्येक 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 बहिब 1/16 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 110/107 की कुल 2.5300हैक् भूमि में सयुक्त तौर वादी अकेला 7/100 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/100 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 7/100 हिस्सा , प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब 7/100हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेग प्रतिवादी संख्या 23 ,24 प्रत्येक 7/80 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 बहिब 7/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 बहिब 7/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. हरनाम दास पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ज्ञानाराम पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मोखीराम पुत्र दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. खेमाराम पुत्र स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरजीतराम पुत्र स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पत्नी स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मन्सो देवी पुत्री स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. छिन्दा देवी पुत्री स्व गोमाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. फरिदराम पुत्र स्व झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. जगीराम पुत्र झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
10. शान्ति पत्नी झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
11. पमीदेवी पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
12. माया पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
13. रिना पुत्री झामाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
14. दारोदेवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
15. अंकी देवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
16. सत्यादेवी पुत्री दलीपाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. पूर्णराम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. सतनाम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
19. सतपाल पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
20. जगदीश पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
21. मुखाराम पुत्र लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
22. मन्सोदेवी पुत्री लालचन्द जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
23. प्याराराम पुत्र सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
24. जुलुराम पुत्र सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
25. कृष्णराम पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
26. ककूराम पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
27. जगदीश पुत्र जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
28. चन्दो पत्नी जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
29. भूरो पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
30. बिना पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
31. पाही पुत्री जयमलराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
32. रांझाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
33. पालाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
34. राजवीर पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
35. मेवाराम पुत्र करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
36. शान्ति देवी पत्नी करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
37. मन्सोदेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
38. मुर्तिदेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
39. पीरादेवी पुत्री करतारदास जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
40. पतिदेवी पुत्री सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
41. संती देवी पुत्री सुन्दरराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।
42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

21/4/2022

राजस्व वाद संख्या 1167 सन 2021 निर्णय दिनांक- 21/4/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 129/125 की कुल 3.7950हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1.3288हैक् भूमि में वादी अकेला 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/20 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 ,9 बहिब 1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं सयुक्त तौर से 1.5185हैक् भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 21 बहिब खातेदार काश्तकार रहेगे एवं सयुक्त तौर 0.94875हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 23 ,24 प्रत्येक 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 बहिब 1/16 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 110/107 की कुल 2.5300हैक् भूमि में सयुक्त तौर वादी अकेला 7/100 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 7/100 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 7/100 हिस्सा , प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब 7/100हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेग प्रतिवादी संख्या 23 ,24 प्रत्येक 7/80 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 25 ता 27 बहिब 7/80 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 बहिब 7/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/4/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

जवाब स्टेट

बअदालत ए.सी./एस.डी.ओ. साहब

मुकाम नोहर

हरलाल बनाम ज्ञानाराम आदि


अर्जीदावा - इश्तकरार हक

श्रीमान् जी

उपरोक्त अनवानी प्रकरण में प्रतिवादी सं. 23 का जवाब दावा निम्न प्रकार से है :-

1. यह कि अर्जीदावा की मद सं. 1 व 2 कुर्सीनामा से सम्बन्धित है जो वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वयं साबित करे।
- 2 यह कि अर्जीदावा की मद सं. 3 में वाद भूमि का विवरण दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।
3. यह कि अर्जीदावा की मद सं. 4 वादी साक्ष्य सबूतों से स्वयं साबित करे।
4. यह कि अर्जीदावा की मद सं. 5 वादी साक्ष्य सबूतों से स्वयं साबित करे।
5. यह कि अर्जीदावा की मद सं. 6 वादी स्वयं साबित करे।
6. यह कि अर्जीदावा की मद सं. 7 कानूनी है।

जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी ने वाद भूमि दादालाई/विरास्तन होने का कथन कर अपने हकों की घोषणा चाही गई है वाद भूमि दादालाई / विरास्तन/आपसी सहमति होने का कथन वादी स्वयं साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वयं साबित करें एवं राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

  
पैरोकार राज